## <u> प्रैस नोट</u> दिनांक 27-09-2021

## बहन का हत्यारोपी वांछित 20,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी विजय कुमार थाना रामघाट पुलिस द्वारा अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री बजरंग बली चौरसिया के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.09.2021 को प्रातः थाना प्रभारी रामघाट मय पुलिस टीम के क्षेत्र में शान्ति/कानून व्यवस्था व तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग मे मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बहन की हत्या की घटना में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधी विजय कुमार बम्बा की पटरी-पटरी ग्राम नंगला गर्वी की तरफ से आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी रामघाट मय पुलिस टीम के नंगला गर्वी की तरफ बम्बा की पटरी पर पहुंचकर घेराबन्दी कर अभियुक्त विजय कुमार को अवैध असलहा मय कारतूस सिहत समय करीब प्रातः 10.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1- विजय कुमार पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम परिहावली थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर। **बरामदगी**-
- 1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार द्वारा अपने भाई शिवकुमार के साथ मिलकर दिनांक 22-08-2021 को अपनी विवाहिता बहन जो रक्षाबंधन पर घर आयी हुई थी, के चिरत्र पर संदेह के कारण तथा बहन की ज्वैलरी के लालच में गला घोंटकर हत्या कर शव को आम के बाग में ले जाकर उसकी चुन्नी से पेड पर लटकाने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त विजय कुमार(मुकदमावादी) द्वारा अपने गांव के ही दीपक, केदारी व केदारी की पत्नी पूनम देवी को नामित करते हुए उन्हें फसाने के लिये थाना रामघाट पर मुअसं-212/21 धारा 302 भादवि के अन्तर्गत झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दौराने विवेचना/कार्यवाही में नामित तीनों व्यक्तियों की नामजदगी गलत पायी गायी थी तथा हत्या में दोनो भाईयों विजय कुमार व शिवकुमार का शामिल होना पाया गया था। घटना में संलिप्त अभियुक्त शिवकुमार को दिनांक 08-09-2021 को मृतका बहन की ज्वैलरी सिहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विजय कुमार लगातार फरार/वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामघाट पर मुअसं-225/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री मुकेश कुमार थाना प्रभारी थाना रामघाट
- 2- उ0नि0 बुद्धिप्रकाश गौतम
- 3- का० अंकुश, का० धर्मेन्द्र कुमार, का० सुन्दर सिंह, है०का० चालक विनोद कुमार